न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/17/2019	01–10–2019	02–03–2021

01–श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व0 श्री दर्शन कुमार जाति आर्य जाट।
02–कुलदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री दर्शन कुमार जाति आर्य जाट।
03–विमल कुमारपुत्र स्व0 श्री दर्शन कुमार जाति आर्य जाट।
04–श्रीमती स्वर्णों देवी पुत्री पुत्र स्व0 श्री दर्शन कुमार पत्नि सुनिल कुमार निवासी मंढा तहसील तिजारा।
05–किरण कुमारी पुत्री स्व0 श्री दर्शन कुमार पत्नि विनोद कुमार जाति आर्य जाट निवासी ग्राम वलगांव तहसील तिजारा जिला अलवर वहैसियत वारिस काबिज जायदार मिनजानिब श्री दर्शन कुमार पुत्र अमरनाथ जाति आर्य जाट निवासी चिकानी। **अपीलान्ट**

बनाम

01–धर्मपाल कथित पुत्र अमरनाथ जाति आर्य जाट।
02–सुभाष चन्द कथित पुत्र अमरनाथ जाति आर्य जाट।
03–जगदीश चन्द कथित पुत्र अमरनाथ जाति आर्य जाट।
04–वेद प्रकाश कथित पुत्र अमरनाथ जाति आर्य जाट।
05–पृथवी राज कथित पुत्र अमरनाथ जाति आर्य जाट निवासीयान ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर।
06–तहसीलदार सरकार जरिये अलवर बतौर लैण्ड होल्डर। **रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार बहादरपुर कैम्प चिकानी का निर्णय दिनांक 21.08.1997 नामान्तकरण संख्या 135 ग्राम चिकानीतहसील अलवर।

उपस्थित :–

01. श्री दलेर सिंह –वकील अपीलाण्ट
02. रेस्पा0– अनु0 उपस्थित

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार चिकानी के आदेश दिनांक 21–08–97 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 135 वाके ग्राम चिकानी तहसील अलवर कास्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पा0 बावजूद सूचना उपस्थिरत नहीं। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट सं0 1 के श्वसुर व शेष के दादा अमर नाथ पुत्र सियाराम का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत इंतकाल संख्या 135 खोला गया है वह गलत तोर पर हमारे पिता स्व0 दर्शन कुमार के साथ–साथ अन्य रेस्पा सं0 1 ला0 5 के नाम भी खोला गया है जिसमें उनको अमर नाथ का पुत्र होना अंकित किया गया। तहत अदालत ने दर्शन कुमार के खिलाफ बाला–बाला एक तरफा में कैम्प चिकानी में दर्ज व स्वीकार किया गया है, इस बाबत हम कैम्प की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जिस कारण ना तो कैम्प में हाजिर हो सके व ना ही अपने ऐतराज पेश कर सकें। विवादित इंतकाल काननून पंचायत के समक्ष पेश होना चाहिऐं था और उनके द्वारा समय सीमा के अन्दर इंतकाल का निर्णय

जिला कलक्टर, अलवर

ना करने के बाद भी विवादित इंतकाल को तहत अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है। तहत न्यायालय ने वारिसान के बारे में कोई जांच नहीं की एवं वारिसान के बारे में किसी वार्ड पंच अथवा सरपंच आदि से भी कोई जानकारी नहीं ली पटवारी हल्का ने अपनी मन मर्जी से उक्त लोगों के नाम इंतकाल में भर कर पेश कर दिया जो गलत है। रेस्पा0 सं0 1 ला0 5 जिनके नाम विवादित इंतकाल में दर्शन कुमार के साथ साथ दर्ज वे तस्दीक किया गया है वो ना तो मृतक अमरनाथ के लडके है और ना ही उनका अमरनाथ की विरासत में कोई हक वों हिस्सपा कानूनन हो सकता है। अमरनाथ का स्वर्गवास हो चुका है व अपीलान्ट उनके जायज व कानूनी वारिसान है व विवादित इंतकाल के प्रभावी रहने से अपीलान्ट के हकूक जायल होते है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 11–09–2015 को हुई। दिनांक 21.8.97 से 7.9.15 तक का समय बवजह लाइल्मी वो उसके बाद से आज तक का समय नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह आदि करने में व्यस्त होने के कारण प्रा0पत्र दफा 5 पेशकर निवेदन है कि दिनांक 21.8.97 से जानकारी दिनांक 11.09.2015 तक की अवधि जानकारी के अभाव में एवं नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह लेने में व्यतीत हुई, जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश दिनांक 21–08–1997 के विरूद्ध दिनांक 29–09–2015 को इस न्यायालय में पेश की है। मियाद के बिन्दु पर ऐसी अनेकों नजीरें है जिसमें मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाना प्रतिपादित किया गया है। प्रकरण में नरम रूख अपनाते हुए अपील अन्दर मियाद में मानी जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक अमर नाथ की विरासत का इन्तकाल रेस्पा0 के नाम स्वीकार किया गया है। मृतक अमर नाथ के वारिसान की जॉच किया जाना पत्रावली से जाहिर नहीं होता है। जबकि विरासत का इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व वारिसान की जॉच किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण में पुनः जॉच कराया जाना उचित समझतें है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत मृतक के वारिसान की जॉच की जाकर विरासत का इन्तकाल नियमानुसार एवं विधि के अनुसार दर्ज कर निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 16–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर